

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थनापत्र संख्या 15/29/21	प्रवेश तिथि 10-02-2021	निर्णय दिनांक 01-03-2021
----------------------------------	---------------------------	-----------------------------

1. बैंक ऑफ बडौदा (ई-विजया) शाखा कार्यालय तेज मंडी स्टेशन रोड अलवर।

प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स प्रदीप एजेन्सीज
श्री सीता राम खण्डेलवाल पुत्र श्री राम दयाल खण्डेलवाल व्यापरा जो दुकान नं0 2
पालवत मार्केट स्टेशन रोड अलवर राजस्थान
श्री रोहित खण्डेलवाल पुत्र श्री सुरेश चंद 13/240 मेहताब सिंह का नोहरा चिंता हरण
महादेव मंदिर के पास अलवर
श्री जोय अमेरीया पुत्र श्री सीता राम खण्डेलवाल 514 विजय नगर अलवर
श्रीमती उषा खण्डेलवाल पत्नी श्री सीताराम खण्डेलवाल 514 विजय नगर अलवर

अप्रार्थीगण / ऋणी



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002


—:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्क्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्क्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसमें निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी। ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं की सम्पत्ति :-

➤ श्री सीता राम खण्डेलवाल पुत्र श्री राम दयाल खण्डेलवाल के नाम व्यावसायिक सम्पत्ति जो प्रथम तल, मोहल्ला प्रताप बास बर्फखाना के पास, लखंदा वाला कुआ के रूप में जाना जाता है अलवर राजस्थान पर स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 79.12 वर्ग गज है, सीमाएं :- पूर्व प्रवेश एव श्री अमित का गौदाम, पश्चिम श्री कमल गोयल की छत, उत्तर श्री नारायण सैनी की भूमि, दक्षिण रोड 7'-6' को रहन रखा गया था। अप्रार्थी द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को नोन परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति, का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं :-


जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

1-रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावें।

2.-आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं पेश दस्तावेजात के आधार पर दिये जा रहे हैं, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार अलवर जिला अलवर को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्वोरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा-31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्मलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहने रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01-03-2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में

सुनाया गया।



(नन्नूल पहाडिया)

जिला मजिस्ट्रेट, अलवर